न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली

पीठासीन अधिकारी :– श्री हरफूल सिंह यादव, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 73/2024

जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024/73

प्रार्थीगण :–

1. श्री काछबाराम पुत्र श्री गुणेशाराम
2. श्री बगताराम पुत्र श्री गुणेशाराम
3. हरिराम पुत्र श्री गुणेशाराम सभी जाति विश्नाई निवासी भालनी तहसील बागोडा जिला जालोर

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. श्री चमनलाल सियोल तहसीलदार बागोडा जिला बाडमेर
2. नानजीराम पुत्र श्री मोहबताराम जाति माली निवासी मोरसीम तहसील बागोडा जिला जालोर

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 2क सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

उपस्थिति :–

1. श्री राजूराम हरियाल, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थीगण
2. श्री पारसमल बाराड़ा, विद्वान अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 2

:: **निर्णय** ::

दिनांकः– 27/8/2024

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर के आज्ञा/आदेश दिनांक 07.02.2022 के उल्लघन होने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध अवमानना अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 2(क) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत प्रार्थना–पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/सम्मन से तलब किया गया।

3. उभयपक्षकारान् द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई, जिसकी प्रति उपलब्ध करवाई जाकर शामिल पत्रावली की गई।

4. बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

5. विद्वान अधिवक्ता वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 ने उपखण्ड अधिकारी बागोडा के समक्ष ग्राम मोरसीम तहसील बागोडा की सीमा में स्थित भूमि खसरा नंबर 922/1187 रकबा 3.84 बीघा तथा ग्राम भालनी तहसील बागोडा के खसरा नंबर 57 रकबा 6.23 हैक्टर के मध्य माठ पर पत्थरबंदी करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने बिना किसी जांच के नायब तहसीलदार बागोडा की अध्यक्षता में कमेठी गठित कर सीमांकन

Signature Not Verified
Digitally signed by Harphool Singh Yadav
Date: 2024.10.08 14:49:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

27/8/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

कर सीमाचिन्ह स्थपित करने का दिनांक 01.11.2021 को आदेश प्रदान किया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण ने अपील संख्या 30/2022 श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत की गई, माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 07.02.2022 द्वारा भूमि दो ग्रामो के बीच की होने से स्थाई सीमाचिन्ह/पत्थरगढी की कार्यवाही सही रूप से सेटलमेन्ट विभाग के सर्वेदल कार्मिको की टीम की उपस्थिति में करवाया जाना न्यायोचित मानकर आदेश दिनांक 21.01.2022 के क्रम में यह आदेश प्रसारित किया जाता है कि तहसीलदार बागोडा एवं सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारी/कर्मचारी की संयुक्त टीम बनाई जाये जो पक्षकारान को एक नियत दिनांक को उपस्थित रखकर उक्त ग्रामों की सीमा का ज्ञान कराये तथा सीमाज्ञान करवाने के उपरांत स्थाई सीमाचिन्ह/पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पादित करे। इस कार्यवाही हेतु अपीलाण्ट्स सेटलमेन्ट विभाग में नियमानुसार शुल्क जमा करवाये। शुल्क जमा करवाने के उपरांत सेटलमेन्ट विभाग दिवस/दिनांक तय करते हुए पक्षकारान व तहसीलदार बागोडा को सूचित करते हुए कार्यवाही सम्पादित करे। उक्त आदेश की पालना में प्रार्थीगण ने सेटलमेंट विभाग में शुल्क जमा करवाया। उसके बाद सेटलमेन्ट विभाग द्वारा तहसीलदार बागोडा के साथ रहकर मौके की सीमाओ को पैमाईस करने के बाद यह तय किया गया कि मौके की सीमाए कब्जे अनुसार रखी जावे।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

विद्वान अधिवक्ता वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि पत्थरगढी सेटलमेन्ट टीम की पैमाईस अनुसार ही करवाने की जानकारी व ज्ञान तहसीलदार अप्रार्थी संख्या 1 को पूर्णरूप से होते हुए उसके द्वारा अभी दिनांक 28.03.2023 को एक आदेश जारी कर उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 01.11.2021 की पालना में पत्थरगढी किये जाने का आदेश पारित करके दिनांक 29.03.2023 पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया है जबकि न्यायालय द्वारा केवल सेटलमेन्ट टीम द्वारा बताये गये सीमाचिन्ह अनुसार ही कार्यवाही करने का आदेश दिया गया है। इस प्रकार तहसीलदार बागोडा द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.02.2022 की पूर्ण अवहेलना करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 से मिलकर उसके पक्ष में की जारी है। संभागीय आयुक्त, जोधपुर के निर्णय दिनांक 07.02.2022 में सेटलमेन्ट टीम गठित करने का जो आदेश दिया है, उसके बाद तहसीलदार अपनी ओर से नई टीम पत्थरगढी के लिये गठित नही कर सकता है। आक्षेपित आदेश में उसके द्वारा जो टीम गठित की है वह भी माननीय संभागीय आयुक्त महोदय के उक्त निर्णय के विरूद्ध खिलाफवजी की गयी है जो अवमानना की तारीफ में आता है। सेटलमेन्ट टीम ने अपनी पैमाईस रिपोर्ट में दोनो गांवो के नक्शे को ओवरलेप होना पाया है तथा मौके पर जो सेठामाठ कायम है उसको गलत नही बताया है सेटलमेन्ट टीम की पैमाईस रिपोर्ट की भी अनदेखी कर तहसीलदार ने नई राजस्व [illegible] गठित की गयी है। जिसका की उसको कोई अधिकार नही है तथा [illegible] को न तो उपखण्ड अधिकारी ने अपने आदेश के तहत [illegible] टीम गठित [illegible] का कोई आदेश नही दिया है तथा न संभागीय आयुक्त [illegible] का कोई आदेश दिया है। उसके बिना तहसीलदार को किसी प्रकार [illegible] कोई टीम का गठन करने का कोई अधिकार नही है। इस प्रकार तहसीलदार का आक्षेपित आदेश संभागीय आयुक्त के आदेशो, निर्देशो एवं नियम कायदो के खिलाफ है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Harphool Singh Yadav
Date: 2024.10.08 14:49:00 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

पत्र स्वीकार कर तहसीलदार का आक्षेपित आदेश दिनांक 28.03.2023 को निरस्त किया जावे।

6. अप्रार्थी संख्या 1 ने तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट रिपोर्ट प्रेषित कर निवेदन किया गया कि श्रीमान भू–प्रबन्ध अधिकारी जोधपुर के पत्रांक 357 दिनांक 03.03.2022 अनुसार नियमानुसार सीमाज्ञान की राशि भू–प्रबन्ध की सर्वेटीम तथा तहसील बागोड़ा की राजस्व टीम द्वारा डी जी पी एस मशानी से सर्वे कार्य किया गया। भू–प्रबन्ध विभाग की टीम अपने मुख्यालय जोधपुर पहुचकर दिनांक 27.09.2022 को सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई जो स्पीड पोस्ट द्वारा दिनांक 30.09.2022 को प्राप्त हुई। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा उपरोक्तानुसार सर्वे रिपोर्ट तथा सुपर इम्पोल नक्शा प्राप्त होने पर तहसील कार्यालय बागोड़ा की राजस्व टीम का गठन पत्रांक 445–453 दिनांक 28.03.2023 के जरिये सीमाचिन्ह/पत्थरगढी हेतु किया गया। जिसमें पत्थरगढी की दिनांक 29.03.2023 नियम की गई, उक्त आदेश की पालना में पत्थरगढी की कार्यवाही नही की गई। किसी आवश्यक राज कार्यवश दिनांक 29.03.2023 को पत्थरगढी कार्य सम्पादित नही हो सका तत्पश्चात प्रकरण में स्थगन जारी होने से कार्यवाही नही की जा सकी।

7. विद्वान अधिवक्ता वकील अप्रार्थीगण संख्या 2 ने निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 नानजीराम के खसरा नंबर 922/1187 एवं प्रार्थीगण के खातेदारी खेत ग्राम भालनी के खसरा नंबर 57 के बीच स्थित सीमा की स्थाई सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करने का एस डी ओ बागोडा में एक प्रार्थना पत्र संख्या 51/2020 पेश किया। जिसका दोनो पक्षो को सुनकर दिनांक 01.11.2021 को निर्णय पारित किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार बागोडा ने राजस्व टीम मय पुलिस जाब्ता गठित कर दोनो पक्षे की मौजूदगी में दोनो के बीच स्थित सीमा/माठ का सीमाज्ञान कर स्थाई पत्थरगढी करवाई गई जो बाद में मौका पाकर रात्री के समय प्रार्थीगण ने ट्रेक्टर की सहायता से तोडी गई। प्रार्थीगण ने न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष एस डी ओ बागोडा के निर्णय के विरूद्ध एक अपील पेश कि गई। जिस पर संभागीय आयुक्त जोधपरु द्वारा दिनांक 07.02.2022 को निर्णय पारित किर आदेश प्रदान किया गया कि तहसीलदार बागोड़ा एवं सेटलमेन्ट विभाग की संयुक्त टीम बनाई जावे जो दोनो पक्षकारान् को एक नियत दिनांक पर उपस्थित रखकर उक्त दोनो ग्रामों की सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करने का आदेश प्रदान किया गया। उक्त आदेश की पालना में भू–प्रबन्ध विभाग जोधपुर एवं राजस्व विभाग विभाग की संयुक्त दोनो की टीम ने दोनो पक्षकारान् की मौजूदगी में दिनांक 01.08.2022 व 02.08.2022 को मौका फर्द तैयार कर सीमाज्ञान किया गया। उसके बाद भू–प्रबन्ध विभाग जोधपुर ने दिनांक 22.06.2023 को तहसीलदार बागोड़ा को निर्देश दिया कि [illegible] में पत्थरगढी स्थायी सीमा चिन्ह का कार्य नियमानुसार राजस्व [illegible] ही संपादित किये जाने का प्रावधान है उक्त आदेश के अनुसार किसी [illegible]कार से अवमानना नही हुई है। तहसीलदार बागोडा ने दिनांक 28.03.2023 को जो राजस्व टीम गठित की गई, वह प्रार्थीगण के निवेदन एवं संभागीय आयु[illegible] जोधपुर की पालना एवं भू–प्रबन्ध विभाग द्वज्ञरा स्थाई पत्थर गढी नही करवाई गई है, जिससे मुझ अप्रार्थी संख्या 2 को न्याय नही मिलने से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अतः स्थाई पत्थरगढ़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Harphool Singh Yadav
Date: 2024.10.08 14:49:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

27/8/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

का आदेश प्रदान कर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अवमानना याचिका प्रार्थना पत्र सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज फरमाकर निस्तारण करने का आदेश प्रदान करावे।

हमने उभयपक्षकरान् की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि सीमा ज्ञान के विवाद को अनिश्चित काल तक स्थगित नही किया जा सकता है अतः इस प्रकरण के सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निम्नानुसार निर्देशो सहित अपील का निस्तारण किया जाता है–

1. भू–प्रबन्ध विभाग के विज्ञ अधिकारियों द्वारा दोनो ग्रामो के नक्शा मेप डिजिटाईजेशन की प्रक्रिया से पूर्व के व बाद के ऑन लाईन नक्शो का मिलान करे एवं जो भी त्रुटि है ज्ञात कर दुरस्त करे तथा मौके की स्थिति का मैप डिजिटाईजेशन पूर्व के मूल नक्शे से मौका का सीमा ज्ञान करावे।

2. दिनांक 12.09.2022 को जिस कार्मिको द्वारा राजस्व रिकॉर्ड के तथ्यो को ध्यान में रखकर कार्यवाही करने के बजाय सीमा विवाद को अनिश्चित काल के लंबित रखने के ~~भ्रामक~~ एक भ्रामक रिपोर्ट पेश की गई। उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जावे।

3. पूर्व में मानानीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर के प्रकरण संख्या 30 / 2022 उनवान काछबाराम वगैरह बनाम नानजीराम वगैरह निर्णय दिनांक 7.02.2022 के द्वारा जो आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश दिनांक 07.02.2022 की अक्षरशः पालना तहसलीदार बागौड़ा जिला साचौर सुनिश्चित करे।

4. भू–प्रबंध अधिकारी जोधपुर पुनः विज्ञ कार्मिको की टीम का गठन कर 1 माह में पुनः सीमा ज्ञान एवं पत्थर गढी हेतु तहसीलदार बागौडा के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु उपलब्ध करावे तथा तहसीलदार बागोड़ा स्वयं अपनी उपस्थिति में किया जाकर सीमा ज्ञान / पत्थर गढी सुनिश्चित करे।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 2 क सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Harphool Singh Yadav
Date: 2024.09.08 14:49:59 IST
Reason: SelfAttested

27/8/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 27/8/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

27/8/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)